

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

85

भारत सरकार

डुं क० मि० अमरदीप नाना उमाठी वनाम पुकाश मल्ली वैजैरह

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
	<p>अभिलेख सं०-एम... 6.8.../2018 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रगारी सीनाहालु... के अप्राथमिकी सं०-12/18... दिनांक-17-5-18 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि विधानसभा उप-चुनाव के दौरान अज्ञानि फैलाने की संभावना जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रु० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि 25-05-18 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित</p> <p align="center">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </p> <p align="center">  23/5/18 कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </p> <p align="center"> अभिलेख उपस्थापित। द्वितीय पक्ष उपस्थापित। दिनांक 15-06-18 को शरब। </p> <p align="right">  25/5/18 </p>	

25-05-18

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

तिथि

28-09-18

अभिलेख उपस्थापित । द्वितीय पक्ष अनुपस्थित । द्वितीय पक्ष जवाब दाखिल करें। दिनांक 22-10-18 को रखें।


28/09/18

22-10-18

अभिलेख उपस्थापित । द्वितीय पक्ष अनुपस्थित । द्वितीय पक्ष जवाब दाखिल करें। दिनांक - 5-11-18 को रखें।


22/10/18

05/11/18

अभिलेख उपस्थापित । द्वितीय पक्ष अनुपस्थित । द्वितीय पक्ष जवाब दाखिल करें। दिनांक - 30/11/18 को रखें।


05/11/18

30-11-18

अभिलेख उपस्थापित । विपक्षी अनुपस्थित । विधान सभा उप-चुनाव शक्ति पूर्ण रूप से समाप्त हो गई है। अतः वाद के अभिलेख की कारवाही बन्द की जाती है।


30/11/18